

संख्या-2/2023/892/सैंतालीस-का-1-2023-13(3)2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

विषय:- अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों/संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानिवृत्तिक देयकों यथा-पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेचुरी एवं कम्प्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की लम्बी सेवा के दृष्टिगत उन्हें एक मोमेन्टों व एक ODOP के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए, उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।

स्वप्रकृत पठा द्वारा दिया गया
का छाते उमीत दिया
27/10/2022

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।